प्रेस नोट- थाना अल्हागंज

शाहजहांपुर पुलिस

दिनाक 19.02.2025

थाना अल्हागंज पुलिस द्वारा मय एक अदद लेपटाप मय दो आधार कार्ड असली ,दो आधार कार्ड नकली के साथ तीन अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

श्रीमान उपमहानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष अल्हागंज के नेतृत्व में बडी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 19.02.2025 को थाना अल्हागंज की पुलिस टीम द्वारा मुखबिरी सूचना पर ग्राम मऊ रसूलपुर में उपचुनाव प्रत्याशी श्रीमती आरती देवी पत्नी रामजी के घर पर आधार कार्ड को एडिट कर प्रधानी के उपचुनाव में फर्जी वोट डाले जा रहे है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री नगेन्द्र सिंह द्वारा मय टीम के मौके पर पहुचकर अभियुक्तगण 1.रितुराज कश्यप पुत्र छविराम निवासी मो0 इस्लामगंज थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 24 वर्ष, 2.रामजी कश्यप पुत्र रामौतार कश्यप निवासी ग्राम मऊ रसूलपुर थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 26 वर्ष, 3.आशीष कुमार कश्यप पुत्र रामौतार कश्यप निवासी ग्राम मऊ रसूलपुर थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 29 वर्ष को मय एक अदद लेपटाप मय दो आरिजनल आधार कार्ड व दो एडिट किये आधार कार्ड के साथ किया गिरफ्तार। पूछताछ में रितुराज उपरोक्त ने बताया कि साहब मेरी बहन आरती देवी की शादी हमने रामजी पुत्र रामौतार निवासी ग्राम मऊ रसूलपुर थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर के साथ की थी जो ग्राम प्रधान उपचुनाव ग्राम रसूलपुर में प्रत्याशी खडी थी जिसका उपचुनाव कल दिनांक 19.02.2025 को हुआ था। तब मेरे बहनौई रामजी ने मुझे फोन करके अपना लेपटाँप / प्रिन्टर लेकर आधार कार्ड एडिट करने के लिए बुलाया था। मै अपना लेपटाप / प्रिन्टर लेकर अपने बहनौई के घर ग्राम मऊ रसूलपुर में पर पहुचा जहां पर मेरे बहनौई रामजी व उनके भाई आशीष मिले जिसकी मदद से मै लेपटाप पर साफ्टवेयर फोटोशाप वर्जन 7.0 के द्वारा आधार कार्ड के फोटो को एडिट कर रहे थे जिसके की मेरी बहन के पक्ष में नकली वोट डाली जा सके तभी थाना अल्हागंज की पुलिस ने हम लोगो को पकड लिया। इस सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० - 044/2025 धारा 172/319(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) BNS पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का दिनाक एंव स्थान/समय

ग्राम प्रधान प्रत्याशी श्रीमती आरती देवी पत्नी रामजी निवासी ग्राम मऊ रसूलपुर थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर के मकान से दिनाक 19.02.2025 समय 17.30 बजे

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम –

1.रितुराज कश्यप पुत्र छविराम निवासी मो0 इस्लामगंज थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 24 वर्ष

2.रामजी कश्यप पुत्र रामौतार कश्यप निवासी ग्राम मऊ रसूलपुर थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 26 वर्ष

3.आशीष कुमार कश्यप पुत्र रामौतार कश्यप निवासी ग्राम मऊ रसूलपुर थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 29 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

1. एक अदद लेपटॉप डेल कम्पनी
2. 02 आरिजनल आधार कार्ड , 02 अदद एडिट किये आधार कार्ड।

<u>पंजीकृत अभियोग / अपराधिक इतिहास</u>

1. 044/2025 धारा 172/319(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) BNS

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम –</u>

1. थानाध्यक्ष ओमप्रकाश थाना अल्हागंज जनपद शाहजहांपुर।
2. उ0नि0 नगेन्द्र सिंह थाना अल्हागंज जनपद शाहजहांपुर।
3. हे0का0 73 समोद कुमार थाना अल्हागंज जनपद शाहजहांपुर
4. हे0का0 458 राशिद खां थाना अल्हागंज जनपद शाहजहांपुर
5. का0 888 तौफीक थाना अल्हागंज जनपद शाहजहांपुर
6. का0 25 सुमित कुमार थाना अल्हागंज जनपद शाहजहांपुर
7. म0का0 835 सुभाता थाना अल्हागंज जनपद शाहजहांपुर
8. म0का0 1004 नेहा यादव थाना अल्हागंज जनपद शाहजहांपुर